राजीव कृष्णा,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 08 /2026

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर
विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांक: फरवरी 03, 2026

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या-35/2026 उमंग रस्तोगी बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में दिये गये निर्देश के अनुपालन में "गिरफ्तारी मेमो" तथा "व्यक्तिगत तलाशी मेमों" के प्रारूप में त्रुटिरहित एवं पूर्ण सूचना अंकित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

हैबियस कार्पस रिट पिटीशन संख्या-35/2026 उमंग रस्तोगी बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा थाना बिसरख, गौतमबुद्ध नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 940/2025 में अभियुक्त उमंग की गिरफ्तारी के समय तैयार किये गये गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी का आधार अंकित न करने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है—

> 16. It is hereby directed that the violation of the aforesaid legal provisions by any police officer, while affecting arrest an accused, by not disclosing the grounds of arrest as per clause 13 of the memo of arrest, would amount to the **misconduct of dereliction of duty by police official concerned and he shall be liable for being proceeded departmentally, after being placed under suspension**, so that he may not perpetrate this illegality any more.

17. Let this order by communicated to the Director General of Police, U.P., within period of one week by the Registrar (Compliance) of this court for necessary compliance.

> 18. The impugned remand order and order dated 27.12.2025 passed by Civil Judge (Senior Division), F.T.C. / Gautam Buddanagar in Case Crime No. 750 of 2025 under Section 317(2) and 317(4), P.S.-Bisrakh, District- G.B. Nagar, are hereby quashed.

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुपालन में डीजी परिपत्र संख्या-25/2025 दिनांकित 25.07.2025 के माध्यम से गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का नया प्रारूप तैयार कर सर्वसम्बन्धित को प्रेषित करते हुये यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय समस्त सूचनायें पूर्ण रूप से गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो में अंकित करने के उपरान्त अभियुक्त को विधिवत उसकी प्रति देते हुये ही गिरफ्तारी की जाए। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा की गयी विपरीत टिप्पणी से यह स्पष्ट हो रहा है कि डीजी परिपत्र संख्या-25/2025 के माध्यम से निर्गत किये गये निर्देशों का फील्ड स्तर पर पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी मेमो तैयार करने में हुई त्रुटि के कारण अभियुक्त के रिमाण्ड आदेश को मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, जिसका लाभ अंततः अभियुक्त को ही मिलता है।

..................2

3– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों Criminal Appeal No.–3051–3052/2023 Pankaj Bansal Vs. UOI & Ors., Diary No. 42896/2023 Prabir Purkayastha Vs. NCT Delhi and Criminal Appeal No.–1518/2025 Ashish Kakkar Vs. UT Chandigarh. के दृष्टिगत गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण तथा गिरफ्तारी के आधार से अभियुक्त को लिखित रूप से अवगत कराया जाना आज्ञापक हो गया है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश संविधान के अनुसार विधि का प्रभाव रखते हैं और उनका अनुपालन न किया जाना मा0 न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 22.01.2026 के प्रस्तर–16 में विशेष रूप से रेखांकित किया है कि यदि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी मेमो में बिन्दु संख्या–13 में अंकित नहीं किये जाते हैं तो इसे अपकृत्य तथा शासकीय कार्यों में शिथिलता माना जायेगा तथा दोषी अधिकारी को निलम्बित करते हुये उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

4– अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि डीजी परिपत्र संख्या–25/2025 के माध्यम से दिये गये निर्देशों से समस्त विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुए "**गिरफ्तारी मेमो**" तथा "**व्यक्तिगत तलाशी मेमो**" का प्रारूप सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुये इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0 - 25 /2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीमूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जुलाई 25, 2025

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-934/2025 मन्जीत सिंह उर्फ इंदर उर्फ मन्जीत सिंह चन्ना बनाम उ0प्र0 राज्य में दिये गये निर्देश के अनुपालन में "गिरफ्तारी मेमो" तथा "व्यक्तिगत तलाशी मेमों" नये प्रारूप में तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-934/2025 मन्जीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 77/2024 उपरोक्त के अभियुक्त मन्जीत सिंह उर्फ इंदर उर्फ मन्जीत सिंह चन्ना की गिरफ्तारी के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A / BNSS 2023 की धारा 47 तथा 48 का अनुपालन न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा गिरफ्तारी के दौरान हुई इस प्रक्रियात्मक त्रुटि को आधार बनाते हुये अभियुक्त को रिमाण्ड पर दिये जाने के आदेश और गिरफ्तारी को खारिज करते हुये निम्नवत आदेश पारित किया गया है—

> 14. In the instant matter, admittedly, no such effort had been made by the learned Magistrate to ensure adequate legal aid to the accused petitioner and appropriate opportunity of hearing at the time judicial remand. Even the arrest memo does not contain any column regarding grounds of arrest of the petitioner. This very issue is primarily the bone of contention between the parties in the instant matter. Accordingly, this, being a clear non-compliance of the mandate under Section 50 of the Code which has been introduced to give effect to Article 22(1) of the Constitution of India, 1950, we are inclined to set aside the impugned order in view of law laid down by the Apex Court in Prabir Purkayastha (supra), Pankaj Bansal (supra) and Ashish Kakkar (supra).
>
> 15. In such view of the matter, the impugned order dated 26.12.2024 is hereby set aside. The arrest of the petitioner is also quashed.
>
> 16. The petitioner shall be set at liberty, unless required in connection with any other case.
>
> 17. In light of the above, the writ petition is allowed.
>
> 18. Let the order be communicated to Director General of Police, Uttar Pradesh through Registrar General of this Court and accordingly, a circular be issued to all the Commissioners of Police/ SSPs/ SPs for necessary compliance of Section 50 and 50A (now Section 47 and 48 BNSS) in the light of the observations made above.

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A/ BNSS 2023 की धारा 47 तथा 48 में यह व्यवस्था है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का कारण, उसके जमानत प्राप्त करने के अधिकार तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से निकट सम्बन्धी को सूचना देने की आज्ञापक व्यवस्था निम्नवत की गयी है—

> **47. Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail.**
> (1)Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest.
> (2)Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf.
> **48. Obligation of person making arrest to inform about arrest, etc., to relative or friend.**
>
> (1)Every police officer or other person making any arrest under this Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district.
> (2)The police officer shall inform the arrested person of his rights under sub-section (1) as soon as he is brought to the police station.
> (3)An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the State Government may, by rules, provide.
> (4)It shall be the duty of the Magistrate before whom such arrested person is produced, to satisfy himself that the requirements of sub-section (2) and sub-section (3) have been complied with in respect of such arrested person.

3- सीसीटीएनएस साफ्टवेयर के अन्तर्गत IIF-III फार्म सं0-6 गिरफ्तारी/न्यायालय समर्पण ज्ञापन (Arrest/Court Surrender Memo) का जेनरेट करने का विकल्प उपलब्ध है किन्तु यह प्रपत्र अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त समस्त सूचनायें अंकित करने के बाद सीसीटीएनएस द्वारा generate किया जाता है। वर्तमान में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय मौके पर विवेचकों द्वारा अलग-अलग प्रारूपों में गिरफ्तारी मेमो तैयार किये जाते हैं, जिसमें गिरफ्तारी के समय अनिवार्य रूप से पालन किये जाने वाले प्राविधानों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अंकित करने हेतु कोई बिन्दु निर्धारित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान जो गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया उसमें अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताये जाने का कोई बिन्दु निर्धारित नहीं था, जिसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुये मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी को अवैध पाया गया और उसे निरस्त कर दिया गया।

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो में अंकित किये जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन कर रिपोर्ट

प्रस्तुत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा गिरफ्तारी मेमो मे अंकित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में विधिक स्थिति तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-3051-3052/2023 पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य, डायरी नं0-42896/2023 प्रबीर पुरकायस्थ बनाम एन.सी.टी. दिल्ली, क्रिमिनल अपील संख्या-621/2025, बीहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य तथा क्रिमिनल अपील संख्या-1518/2025 आशीष कक्कड़ बनाम यू.टी.ऑफ चण्डीगढ़ में विभिन्न तिथियों पर पारित निर्णयों का अध्ययन किया गया तथा इन निर्णयों के आलोक में सी.बी.आई. तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संशोधित किये गये गिरफ्तारी मेमो का अध्ययन किया गया। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का आलेख तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।

5- किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का हनन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी किये बिना नहीं किया जा सकता, ऐसी दशा में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A / BNSS 2023 की धारा 47 तथा 48 का अनुपालन अनिवार्य है।

6- BNSS 2023 की धारा-37 के क्रम में अधिसूचित BNSS नियमावली 2024 के नियम 6 के अन्तर्गत उपनिरीक्षक या उससे उच्च पद के अधिकारी को जिला कन्ट्रोल रूम व थानों पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते की सूचना रखने का दायित्व दिया गया है, जिसके अनुपालन में प्रत्येक थाने तथा प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट में इस हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाये। नामित अधिकारी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते की सूचना रखने के लिए जिम्मेदार होगे तथा संकलित सूचना जिला कन्ट्रोल रूम पर प्रदर्शित की जायेगी। गिरफ्तारी मेमो तैयार करते समय गिरफ्तारी की सूचना नामित अधिकारी को दिये जाने के सम्बन्ध में एक सूचना कॉलम बनाया गया है, जिसे अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय अनिवार्य रूप से भरा जाना आवश्यक है।

7- अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का प्रारूप परिपत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो तैयार किया जाये तथा गिरफ्तारी मेमो में अंकित सभी प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो में भरी जाने वाली सभी सूचनाओं को यथास्थान एवं त्रुटिरहित रूप से अंकित किया जाये। यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय कोई आपत्तिजनक या अवैध सामग्री बरामद होती है, जिसके लिए विस्तृत फर्द बरामदगी तैयार किये जाने की आवश्यकता हो तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत तलाशी मेमो तैयार किया जाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि अभियुक्त के पास से बरामद सभी वस्तुओं का उल्लेख फर्द बरामदगी में ही किया जायेगा।

.....4

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र के माध्यम से दिये गये निर्देशों से समस्त विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुए "गिरफ्तारी मेमो" तथा "व्यक्तिगत तलाशी मेमो" का प्रारूप सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध करा दे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराए।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 35 of 2026

Umang Rastogi, And Another

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Raghav Dev Garg
Counsel for Respondent(s)	:	G.A.

Court No. - 46

HON'BLE SIDDHARTH, J.
HON'BLE JAI KRISHNA UPADHYAY, J.

Ms. Manju Thakur, learned A.G.A.-I prays for and is granted time to seek instructions.

Put tomorrow i.e. 21.01.2026 at 12:00 Noon.

January 20, 2026
AKT

(Jai Krishna Upadhyay,J.) (Siddharth,J.)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 35 of 2026

Umang Rastogi, And Another

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Raghav Dev Garg
Counsel for Respondent(s)	:	G.A.

Court No. - 46

HON'BLE SIDDHARTH, J.
HON'BLE JAI KRISHNA UPADHYAY, J.

1. Sri Kartikay Saran, learned Additional Advocate General assisted by Ms. Manju Thakur, learned AGA-I prayed for a day's time and allowed to file counter affidavit.

2. Put up tomorrow i.e. 22.01.2026 at 2:00 pm.

January 21, 2026
S.K.S.

(Jai Krishna Upadhyay,J.) (Siddharth,J.)

गिरफ्तारी मेमो

(प्र0 सू0 रि0 सं0..... दिनांक.....धारा.....)

(थाना.....जनपद.....)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

1.	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	
2.	गिरफ्तार व्यक्ति के माता/पिता/पति का नाम	
3.	गिरफ्तार व्यक्ति का मो0 नं0/आधार सं0	
4.	गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	
5.	गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	
6.	प्र0 सू0 रि0 सं0..... धारांतर्गत..... थाना.....	
7.	गिरफ्तारी का स्थान	
8.	गिरफ्तारी की तारीख और समय	
9.	गिरफ्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर/सूचना का माध्यम (धारा 48(1)BNSS)	
10.	नोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1)BNSS)	
11.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों का नाम पद और PNO सं0	
12.	गिरफ्तारी के कारण	
(A)	पुलिस अधिकारी की उपस्थिति मे संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1)(a) BNSS	
(B)i.	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	
ii.	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	
iii.	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	
iv.	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न. जा सके	
v.	क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्थिति न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।	

	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ-साथ उन्हीं मुकदमा दिये गये साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ्तारी आवश्यक है।	विवरण अंकित करें
ii.	वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट है।	
iii.	वह समस्त सामग्री/दस्तावेजी जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता है।	
iv.	विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई।	
v.	अन्य ऐसी सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित है, का विवरण।	
vi.	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में बी.एन.एस. की किन-किन धाराओं में सामग्री/साक्ष्य है, जो कि गिरफ्तारी के लिये आवश्यक है, का विवरण।	
14	संज्ञेय व जमानती मामलों में गिरफ्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं (धारा 47(2)BNSS)।	
15	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि के निशान।	
A	गिरफ्तारी के दौरान	
B	या अन्यथा	
16	यदि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों/उसका/उसकी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने के बारे में बताया गया?(धारा 38 BNSS)	

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधारों व विधिक अधिकारों के बारे में अभियुक्त को समझ आने वाली भाषा में भली भाति अवगत कराया गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं BNSS के प्रावधानों का गिरफ्तारी के दौरान पालन किया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व रैंक _____
थाना _____
दिनांक _____

प्राप्ति रसीद(एक प्रति प्राप्त की)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अगूठा निशान	रिश्तेदार /मित्र / नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर / अगूठा निशान

गवाही के नाम व हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम व पूरा पता व मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
गवाह 1		
गवाह 2		

Separate for each Accused

Arrest Memo

(Case F.I.R_____ Dated____U/S_____)
(Police Station_____District_____)
(As per section 36 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023)
(As per direction of Hon'ble Supreme Court of India)

1	Name with Alias and Age of Arrestee.	
2.	Name of Mother/Father/Husband of Arrestee	
3.	Mobile No./ Aadhar No. of Arrestee	
4.	Present Address of the Arrestee	
5.	Permanent Address of the Arrestee	
6.	FIR No._____ Sec. of Law_____Police Station_____	
7.	Place of Arrest	
8.	Date & Time of Arrest	
9.	Name, address, email ID and phone number/mode of intimation of person to whom information has been given about arrest and place of detention (Section 48(1) BNSS)	
10.	Details of information given to the Nodal Police Officer (Section 48(1)BNSS)	
11.	Name, Rank & PNO No. of the officers making arrest.	
12.	Reasons for Arrest	
A.	For committing a cognizable offence in the presence of a police officer (Section 35(1)(a)BNSS)	
(B)i.	To prevent such person from committing any further offence	
ii.	For the proper investigation of offence	
iii.	To prevent such person from eliminating any witness of the offence or from tampering such witness in any manner	
iv.	To prevent such person from inducing, threatening or promising any person acquainted with the fact of the case so as to prevent him from disclosing such fact before the court or police officer	
v.	Because when such a person is not arrested then his presence in the court whenever required cannot be ensured	

13.	Ground for Arrest	Mention details
i.	How is arrest necessary in the light of the statement of the arrested person and evidence as well as statement given by informant	
ii.	All the material from which the involvement of arrested person in the crime in clear	
iii.	All the material on the basis of which the arrest of the person charged with the said offence is required	
iv.	All material collected by the investigating officer till the time of arrest in respect of the person arrested which necessitated the arrested	
v.	Details of the other material collected as documentary evidence, electronic evidence etc., relating to the person arrested	
vi.	Details of Sections of BNSS & other Laws where evidences/material is available against the person arrested which is required for arrest.	
14.	In cognizable and bailable offences, was he informed about the right to bail? (Section 47(2) BNSS)	
15.	Whether any visible signs of trauma/injury present on the body of the arrestee? (Section 38 BNSS)	
A.	During Arrest	
B.	Other	
16.	Whether the arrested person has been informed about his/her legal rights/ opportunity to meet a lawyer of his/her choice? (Section 38 BNSS)	

The accused was thoroughly informed about the reasons and grounds of arrest and his legal rights in the language understandable to him and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the provisions of the BNSS were followed during the arrest.

Signature of the Arresting Officer
Name and Rank _____
P.S _____
Dated _____

Received a Copy

Signature/Thumb Impression of Arrestee	Signature/Thumb Impression of Relative/Friend/Nominated Person

Name & Signature of Witnesses.

Sl. No	Name, Mobile No. and Complete Address of witness	Signature
Witness 1		
Witness 2		

(व्यक्तिगत तलाशी मेमो(बी.एन.एस.एस. की धारा 49 के अनुसार)

प्र.सू.रि. संख्या, धारा, थाना व जनपद	
अभियुक्त का नाम व उसके माता-पिता का नाम	
वर्तमान पता	
स्थाई पता	
व्यक्तिगत तलाशी की तिथि व समय	
व्यक्तिगत तलाशी का स्थान	
व्यक्तिगत तलाशी करने वाले का नाम	

श्री/श्रीमती _____ को प्र.सू.रि. संख्या ____दिनांक ____धारा __के अन्तर्गत गिरफ्तार किए जाने पर उनके शरीर और कपड़ों की व्यक्तिगत तलाशी ली गई। उनकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान मिली निम्नलिखित वस्तुओं को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

क्र. सं.	तलाशी के दौरान मिली वस्तुओं का विवरण

व्यक्तिगत तलाशी के दौरान अभियुक्त को कोई क्षति या चोट नहीं पहुंची। (यहां उल्लेख करें कि क्या अभियुक्त ने व्यक्तिगत तलाशी का विरोध किया या उससे बचने का प्रयास किया)।

इस ज्ञापन की एक प्रति आरोपी को रसीद सहित प्राप्त करा दी गई है।

पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर जिसके द्वारा तलाशी ली गई

प्राप्ति रसीद(एक प्रति प्राप्त की)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

गवाहों के नाम व हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम व पूरा पता	हस्ताक्षर
गवाह 1		
गवाह 2		

दिनांक:

समय:

नोट:- बाद में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए प्रत्येक बिंदु का यथासंभव गहनता से वर्णन करें।

Personal Search Memo (Ref. Section 49 of BNSS)

FIR No., Section, Police Station and District	
Name of Accused and parentage of accused.	
Present Address	
Permanent Address	
Date and time of Personal Search:	
Place where personal search was conducted:	
By whom personal search conducted:	

Sh/Smt._____on being arrested in FIR No. _____dated _____u/s._____ was subjected to personal search of his/her body and apparel. The following items found during his/her personal search have been taken in police possession.

Sr. No.	Description of items found during personal search

No damage or injury was caused to accused during the personal search. (Here mention if the accused resisted or tried to evade personal search).

A copy of this memo has been handed over to accused under receipt.

Signature of Police Officer who conducted search

Received one copy

Signature/Thumb Impression of Arrestee

Name & address of Witnesses

Sl. No	Name and Complete Address of witness	Signature
Witness 1		
Witness 2		

Date:

Time.

Note : Describe each item as precisely as possible to avoid any ambiguity at later stage.

A.F.R

2026:AHC:16946-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 35 of 2026

Umang Rastogi, And Another .....Petitioners(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others .....Respondents(s)

Counsel for Petitioners(s) : Raghav Dev Garg
Counsel for Respondent(s) : G.A

Court No. - 46

HON'BLE SIDDHARTH, J.
HON'BLE JAI KRISHNA UPADHYAY, J.

1. Counter affidavit filed on behalf of State is taken on record.

2. Heard Sri Anand Kumar, Sri Aditya Giri, Sri Raghav Dev Garg, learned counsel for the petitioners; Sri Kartikey Saran, learned Additional Advocate General assisted by Ms. Manju Thakur, learned A.G.A.-Ist for the State.

3. The above noted habeas corpus writ petition has been filed praying for following reliefs :-

> *"(i) Issue a writ order or direction in the nature of Habeas Corpus directing the respondents herein to produce and release the corpus / petitioner no. 1 from their illegal custody, while declaring the arrest, detention and remand of the petitioner no. 1 as illegal, null and void for not following the directions of the Hon'ble Supreme Court in Mihir Rajesh vs. State of Maharashtra and Another;*

(ii) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the remand order dated 27.12.2025 passed by Civil Judge (S.D.) F.T.C./ A.C.J.M., Gautam Buddhanagar.

(iii) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus to initiate departmental enquiry upon the actions of errant police officials of respondent no. 1.

(iv) Issue any other writ, order or direction, which this Hon'ble Court deems fit and proper in the facts and circumstances of the present case.

(v) To award the cost of the petition."

4. The brief facts of the case are that on 28.11.2025 at about 05:40 p.m, the petitioner's father, a permanent resident of Haldwani, Uttrakhand, was unlawfully abducted by Station House Officer, Police Station-Bisrakh, District- Gautam Buddhanagar, from business premises of the petitioners at Laxmi Nagar, Delhi. The petitioner's father was kept in illegal custody at Police Station- Bisrakh, Gautam Buddh Nagar, U.P., for 5 days. During his illegal detention, evidence was fabricated and F.I.R. No. 940 of 2025 was registered under Section 317(2) B.N.S against the father of petitioners on 03.12.2025 and he was belatedly produced before learned Magistrate. The petitioner's father filed a writ petition before the Delhi High Court and out of vengeance, the police arrested petitioner no. 1 without providing him any ground of arrest on 26.12.2025 from Haldwani, Uttrakhand. The petitioner no. 1 was taken before remand Magistrate at District Court, Surajpur at Gautam Buddhanagar on 27.12.2025 and no copy of arresting memo was provided to him. His counsel moved an application for seeking his release on the aforesaid ground on the same day which was rejected by the learned Magistrate on 27.12.2025. Hence, the petitioner has approached this court challenging the order of illegal remand dated 27.12.2025 passed and illegal arrest memo.

5. Learned counsel for the petitioner has submitted that it is clear from the above facts of the case that the police officials have acted in high handed manner and when it was pointed out to the learned Magistrate, he

has also not applied his judicial mind to the requirements of law before affecting arrest of petitioner no. 1 and rejected the prayer of petitioner no. 1.

6. On the basis of counter affidavit filed by State the maintainability of the habeas corpus petition has been questioned by learned Additional Advocate General on the ground that it is not illegal arrest but arrest in accordance with law and the procedure of law has been followed in making the arrest of petitioner no. 1. Petitioner no. 1 is in judicial custody and therefore, his custody cannot be said to be illegal. It has been submitted that as per Annexure C.A.-5, which is the arrest memo of the petitioner no. 1, full compliance of the requirements of a valid memo of arrest has been made while affecting the arrest of the petitioner no. 1. It has been argued that the habeas corpus petition is devoid of merits and deserves to be dismissed. The petitioner no. 1 has criminal history of six cases as per DCRB report and therefore, he does not deserves any latitude from this court.

7. After considering the pleadings of the parties and the rival submissions, we find that the crux of the dispute between the parties is that the petitioner no. 1 was arrested without disclosure of grounds of arrest in the arrest memo brought on record as Annexure C.A.-5 with the counter affidavit and it was also not supplied to the petitioner no. 1, though his signature was taken thereon. It is being reproduced hereinbelow :-

गिरफ़्तारी मेमो

प्र० सू० रि० संख्या 750/2025 दिनांक 26.12.2025 धारा 317(2), 317(4) B.N.S.S

(थाना- बिसरख, जनपद- गौतम बुद्ध नगर)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशनुसार)

1.	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	उमंग डॉक्टर विनय रस्तोगी
2.	गिरफ्तार व्यक्ति के माता / पिता / पति का नाम	विनय रस्तोगी
3.	गिरफ्तार व्यक्ति का मो॰ नं॰ / आधार सं॰	
4.	गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	मकान नं॰ 11B गली नं॰2, थाना लक्ष्मी नगर दिल्ली
5.	गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	उपरोक्त
6.	प्र॰ सू॰ रि॰ संख्या ... ... धारांतर्गत ... ...थाना–	
7.	गिरफ़्तारी का स्थान	शान्ति ज्वेलर्स लाल डाठ रोड , थाना - मुखानी, नैनीताल
8.	गिरफ्तारी की तारीख और समय	26/12/2025 16:40
9.	गिरफ़्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर / सूचना का माध्यम (धारा 48(1) BNSS)	विनय रस्तोगी 8279806914
10.	नोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1) BNSS)	ACP दीक्षा सिंह - 8595902546
11.	गिरफ़्तारी करने वाले अधिकारीयों का नाम, पद और PNO संख्या	SI 942650602
12.	गिरफ़्तारी का कारण	वांछित बरामदगी
A.	पुलिस अधिकारी की उपस्तिथि में संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1) BNSS)	
B. (i)	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	✔
(ii)	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	
(iii)	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	✔
(iv)	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न जा सके ।	
(v)	व्यक्ति जब ऐसा व्यक्ति गिरफ़्तार नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्तिथि न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है ।	
13. i.	गिरफ़्तारी के आधार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ साथ वादी मुकदमा दिए गए साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ़्तारी आवश्यक है ।	विवरण अंकित करें श्रीमान जी, अभियुक्त उमंग रस्तोगी s/o विनय रस्तोगी भिवाजी उपरोक्त को

ii. iii. iv. v. vi.	वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पस्ट है । वह समस्त सामग्री / बरामदगी जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति की गिरफ़्तारी की आवश्यकता है । विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ़्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई । अन्य ऐसी सामग्री दस्तावेज साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो की गिरफ्तार किये गए व्यक्ति से सम्बंधित है, का विवरण । गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्ध में बी. एन. एस. की किन किन धाराओं में सामग्री / साक्ष्य है , जो की गिरफ़्तारी के लिए आवश्यक है , का विवरण ।	मुकदमा उपरोक्त के जुर्म व धारा से अवगत कराकर नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त की गिरफ़्तारी की सूचना उसके पिता विनय रस्तोगी को दूरभाष के जरिये दी गयी है तथा अभियुक्त को उसके विधि विशेषज्ञ वकील से मिलने का मौका देकर जमानती एवं जमानत के अधिकारों से अवगत कराया
14.	संज्ञेय व जमानती मामलों में गिरफ़्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं (धारा 47(2) BNSS)	
15.	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि की निशान	
A.	गिरफ़्तारी के दौरान	
B.	या अन्यथा	
16.	यदि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों / उसका / उसकी पसंद के अधिवक्ता से मिलने के बारे में बताया गया ? (धारा 38 BNSS)	हाँ

8. Learned counsel for the petitioners submits that it is clear from the above arrest memo that it is not in accordance with the requirements of clause 13 of the arrest memo hence the arrest and detention of petitioner no. 1 is illegal and therefore the habeas corpus writ petition filed by petitioner no. 2 for seeking release of petitioner no. 1 from illegal custody is maintainable. He has relied upon the judgment of Supreme Court in the case of ***Gautam Navlakha vs. National Investigation Agency (2022) 13 Supreme Court Cases 542*** in support of his contention. He has also made reliance on the judgments of the Apex Court in the cases of ***Priya Indoria vs. State of Karnataka and others (2024) 4 SCC 749*** and ***Mihir Rajesh Shah vs. State of Maharashtra***

and another (2025) SCC Online SC 2356. Reliance on the judgment of this court in the case of *Anwar Dhebar vs. State of U.P. and 2 others in Criminal Misc. Writ Petition No. 12507 of 2024* and judgment of the Bombay High Court in the case of *Ajit Khan More vs. State of Maharashtra, through Inspector of Police of Wadgaon Nimbalkar Police Station, 2025 SCC Online Bom 2899*, has also been made.

9. Learned Additional Advocate General has relied upon the judgment of this court in the cases of *Km. Rachna and another and State of U.P. and 4 others, in Habeas Corpus Writ Petition No. 362 of 2020* and *Kanu Sanyal vs. District Magistrate, Darjeeling and others (1974) 4 SCC 141*.

10. After going through the authorities cited at Bar, we find that this court can entertain a habeas corpus writ petition, if it is demonstrated before the court that the arrest of an accused has been made without following the procedure established by law. The Apex Court in the case of ***Mihir Rajesh Shah (Supra)*** has clearly held in paragraph 46 that to achieve the objective of Article 22(1) of the Constitution of India, the grounds of arrest must be informed to every person arrested. In paragraph 49 it was held that the ground of arrest should be furnished to the arrestee in writing. Breach of any such requirements will render the arrest of arrestee illegal.

11. We further find that earlier there was no definite proforma of memorandum of arrest in the state of Uttar Pradesh and the investigating officer used to make his own memo of arrest and arrest of accused was made on its basis. Finding total anarchy in this regard, this court passed number of orders and thereafter the Director General of Police of State of U.P., got a proforma of arrest memo prepared and the same was directed to be circulated to all the Police Commissioners of State / all the Senior Superintendents of Police / Superintendents of Police of the State of U.P. Further all the Additional Inspector Generals of Police in the State, Zonal Additional Inspector Generals of Police and all the Police,

Deputy Inspector Generals of Police of State of U.P were informed about the new arrest memo by the Director General of Police of the State by his circular dated 25.07.2025 reproduced hereinbelow :-

" विषय :- मा* उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पेटिशन संख्या - 934 / 2025 मंजीत सिंह उर्फ़ इन्दर उर्फ़ मंजीत सिंह चन्ना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए निर्देश के अनुपालन में "गिरफ़्तारी मेमो" तथा "व्यक्तिगत तलाशी मेमो " नए प्रारूप में तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश ।

प्रिय महोदय / महोदया,

क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पेटिशन संख्या - 934/ 2025 मंजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मु .अ. सं. 77/2024 उपरोक्त के अभियुक्त मंजीत सिंह उर्फ़ इन्दर उर्फ़ मंजीत सिंह चन्ना की गिरफ़्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A / B.N.S.S., 2023 की धारा 47 तथा 48 का अनुपालन न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा गिरफ़्तारी के दौरान हुयी इस प्रक्रियात्मक त्रुटि को आधार बनाते हुए अभियुक्ति को रिमांड पर दिए जाने के आदेश और गिरफ़्तारी को खारिज करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया है -

14. In the instant matter, admittedly, no such effort had been made by the learned Magistrate to ensure adequate legal aid to the accused petitioner and appropriate opportunity of hearing at the time judicial remand. Even the arrest memo does not contain any column regarding grounds of arrest of the petitioner. This very issue is primarily the bone of contention between the parties in the instant matter. Accordingly, this, being a clear non-compliance of the mandate under Section 50 of the Code which has been introduced to give effect to Article 22(1) of the Constitution of India, 1950, we are inclined to set aside the impugned order in view of law laid down by the Apex Court in Prabir Purkayastha (supra), Pankaj Bansal (supra) and Ashish Kakkar (supra).

15. In such view of the matter, the impugned order dated 26.12.2024 is hereby set aside. The arrest of the petitioner is also quashed.

16. The petitioner shall be set at liberty, unless required in connection with any other case.

17. In light of the above, the writ petition is allowed.

18. Let the order be communicated to Director General of Police, Uttar Pradesh through Registrar General of this Court and accordingly, a circular be issued to all the Commissioners of Police / SSPs/ Sps for necessary compliance of Section 50 and 50A (now Section 47 and 48 B.N.S.S) in the light of the observations made above.

2- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A/B.N.S.S., 2023 की धारा 47 तथा 48 में यह व्यवस्था है की गिरफ़्तारी के समय अभियुक्त को उसकी गिरफ़्तारी का कारण, उसके जमानत प्राप्त करने के अधिकार तथा गिरफ्तार किये गए व्यक्ति से निकट सम्बन्धी को सूचना देने की आज्ञापक व्यवस्था निम्नवत की गयी है -

47. Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail.

(1) Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest.

(2) Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf.

48. Obligation of person making arrest to inform about arrest, etc., to relative or friend.

(1) Every police officer or other person making any arrest under this Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the

arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district.

(2) The police officer shall inform the arrested person of his rights under sub-section (1) as soon as he is brought to the police station.

(3) An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the State Government may, by rules, provide.

(4) It shall be the duty of the Magistrate before whom such arrested person is produced, to satisfy himself that the requirements of sub-section (2) and sub-section (3) have been complied with in respect of such arrested person.

3- सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत IIF-III फॉर्म संख्या - 6 गिरफ़्तारी / न्यायालय समर्पण ज्ञापन (Arrest /Court Surrender Memo) का जेनरेट करने का विकल्प उपलब्ध है किन्तु यह प्रपत्र अभियुक्त की गिरफ़्तारी के उपरांत समस्त सूचनाएं अंकित करने के बाद सीसीटीएनएस द्वारा generate किया जाता है । वर्तमान में अभियुक्त की गिरफ़्तारी के समय मौके पर विवेचकों द्वारा अलग अलग प्रारूपों में गिरफ्तारी मेमो तैयार किये जाते हैं, जिसमे गिरफ्तारी के समय अनिवार्य रूप से पालन किये जाने वाले प्राविधानों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण अंकित करने हेतु कोई बिंदु निर्धारित नहीं है । वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ़्तारी के दौरान जो गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया उसमे अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताये जाने का कोई बिंदु निर्धारित नहीं था, जिसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की गिरफ़्तारी को अवैध पाया गया और उसे निरस्त कर दिया गया ।

4- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ़्तारी मेमो में अंकित किये जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा गिरफ़्तारी मेमो में अंकित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में विधिक स्थिति तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या - 3051-3052/2023 पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य, डायरी नंबर – 42896/2023 प्रबीर पुस्तकालय बनाम ऍन. सी . टी दिल्ली , क्रिमिनल अपील संख्या - 621/2025 विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य तथा क्रिमिनल अपील संख्या - 1518/2025 आशीष कक्कड़ बनाम यू.टी. ऑफ़ चंडीगढ़ में विभिन्न

तिथियों पर पारित निर्णयों का अध्ययन किया गया तथा इन निर्णयों के आलोक में सी.बी.आई तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संशोधित किये गए गिरफ्तारी मेमो का अध्ययन किया गया । समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार किये जाने वाले गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का आलेख तैयार कर उपलब्ध कराया गया है ।

5- किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होता है संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी किए बिना नहीं किया जा सकता ऐसी दशा में गिरफ़्तारी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 तथा 50A/ BNSS, 2023 की धारा 47 तथा 48 का अनुपालन अनिवार्य है ।

6- BNSS, 2023 की धारा- 37 के क्रम में अधिसूचित नियमावली 2024 के नियम 6 के अंतर्गत उपनिरीक्षक या उससे उच्च पद के अधिकारी को जिला कण्ट्रोल रूम व थानों पर गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम व पते की सूचना रखने का दायित्व दिया गया है, जिसके अनुपालन में प्रत्येक थाने तथा प्रत्येक जनपद / कमिश्नरेट में इस हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए । नामित अधिकारी गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम व पते की सूचना रखने के लिए ज़िम्मेदार होंगे तथा संकलित सूचना जिला कण्ट्रोल रूम पर प्रदर्शित की जायेगी । गिरफ़्तारी मेमो तैयार करते समय गिरफ़्तारी की सूचना नामित अधिकारी को दिए जाने के सम्बन्ध में एक सूचना कॉलम बनाया गया है, जिसे अभियुक्त की गिरफ़्तारी के समय अनिवार्य रूप में भरा जाना आवश्यक है ।

7- अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के समय तैयार किए जाने वाले गिरफ़्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो का प्रारूप परिपत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करते समय परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में गिरफ़्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमों तैयार किया जाए तथा गिरफ़्तारी नियमों में अंकित सभी प्रावधानों का अक्षरश अनुपालन करते हुए गिरफ़्तारी नियमों तथा व्यक्तिगत तलाशी नियमों में भरी जाने वाली सभी सूचनाओं को यथास्थान एवं त्रुटि रहित रूप से अंकित किया जाए । यदि अभियुक्त की गिरफ़्तारी के समय कोई आपत्तिजनक यह अवैध सामग्री बरामद होती है जिसके लिए विस्तृत फर्द बरामदगी तैयार किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत तलाशी मेमो तैयार किया जाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि अभियुक्त के पास से बरामद सभी वस्तुओं का उल्लेख फर्द बरामदगी में ही किया जाएगा ।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है की इस परिपत्र के माध्यम से दिए गए निर्देशों से समस्त विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारीयों को अवगत कराते हुए

"गिरफ़्तारी मेमो " तथा "व्यक्तिगत तलाशी मेमो " का प्रारूप सर्वसंबन्धित को उपलब्ध करा दे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं ।

गिरफ़्तारी मेमो

प्र ० सू ० रि० संख्या ... ... दिनांक ... ... धारा ... ...

(थाना- ....., जनपद- .....)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)

(माननीय सर्वोच न्यायालय के निर्देशनुसार)

1.	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	
2.	गिरफ्तार व्यक्ति के माता / पिता / पति का नाम	
3.	गिरफ्तार व्यक्ति का मो० नं० / आधार सं०	
4.	गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	
5.	गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	
6.	प्र ० सू ० रि० संख्या ... ... धारांतर्गत ... ...थाना–	
7.	गिरफ़्तारी का स्थान	
8.	गिरफ़्तारी की तारीख और समय	
9.	गिरफ़्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर / सूचना का माध्यम (धारा 48(1) BNSS)	
10.	नोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1) BNSS)	
11.	गिरफ़्तारी करने वाले अधिकारीयों का नाम, पद और PNO संख्या	
12.	गिरफ़्तारी का कारण	
A.	पुलिस अधिकारी की उपस्तिथि में संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1) BNSS)	
B. (i)	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	
(ii)	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	
(iii)	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	

(iv)	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न जा सके ।	
(v)	व्यक्ति जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्तिथि न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है ।	
13. i. ii. iii. iv. v. vi.	गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ साथ वादी मुकदमा दिए गए साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ़्तारी आवश्यक है । वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पस्ट है । वह समस्त सामग्री / बरामदगी जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति की गिरफ़्तारी की आवश्यकता है । विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ़्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई । अन्य ऐसी सामग्री दस्तावेज साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो की गिरफ्तार किये गए व्यक्ति से सम्बंधित है, का विवरण । गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्ध में बी. एन. एस. की किन किन धाराओं में सामग्री / साक्ष्य है , जो की गिरफ़्तारी के लिए आवश्यक है , का विवरण ।	विवरण अंकित करें
14.	संज्ञेय व जमानती मामलों में गिरफ़्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं (धारा 47(2) BNSS)	
15.	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि की निशान	
A.	गिरफ़्तारी के दौरान	
B.	या अन्यथा	
16.	यदि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों / उसका / उसकी पसंद के अधिवक्ता से मिलने के बारे में बताया गया ? (धारा 38 BNSS)	

Arrest Memo

(Case F.I.R _____ Dated _____ U/S _____)

(Police Station _____ District _____)

(As per Section 36 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023)

(As per direction of Hon'ble Supreme Court of India)

1.	Name with Alias and Age of Arrestee.	
2.	Name of Mother / Father / Husband of Arrestee	
3.	Mobile No. / Adhar No. of Arrestee	
4.	Present Address of the Arrestee	
5.	Permanent Address of the Arrestee	
6.	F.I.R No. _____ Sec. of Law _____ Police Station _____	
7.	Place of Arrest	
8.	Date and Time of Arrest	
9.	Name, address, email ID and phone number / mode of intimation of person to whom information has been given about arrest and place of detention (Section 48(1) B.N.S.S)	
10.	Details of information given to the Nodal Police Officer (Section 48(1) B.N.S.S)	
11.	Name, Rank & PNO No. of the officers making arrest.	
12.	Reasons for Arrest	
A.	For committing a cognizable offence in the presence of a police officer (Section 35(1)(a) B.N.S.S)	
B(i)	To prevent such person from committing any further offence	
(ii)	For the proper investigation of offence	
(iii)	To prevent such person from eliminating any witness of the offence or from tampering such witness in any manner.	
(iv)	To prevent such person from inducing, threatening or promising any person acquainted with the fact of the case so as to prevent him from disclosing such fact before the court or police officer.	
(v)	Because when such a person is not arrested then his presence in the court whenever required cannot be ensured.	

	Ground of Arrest	
(i)	How is arrest necessary in the light of the statement of the arrested person and evidence as well as statement given by informant.	
(ii)	All the material from which the involvement of arrested person in the crime in clear.	
(iii)	All the material on the basis of which the arrest of the person charged with the said offence is required.	
(iv)	All material collected by the investigating officer till the time of arrest in respect of the person arrested which necessitated the arrested.	
(v)	Details of the other material collected as documentary evidence, electronic evidence, etc., relating to the person arrested.	
(vi)	Details of Sections of B.N.S.S and other Laws where evidence / material is available against the person arrested which is required for arrest.	
14.	In cognizable and bailable offences, was he informed about the right to bail ? (Section 47(2) B.N.S.S.	
15.	Whether any visible signs of trauma / injury present on the body of the arrestee ? (Section 38 B.N.S.S)	
A.	During Arrest	
B.	Other	
16.	Whether the arrested person has been informed about his / her legal rights / opportunity to meet a lawyer of his / her choice ? (Section 38 B.N.S.S)	

The accused was thoroughly informed about the reasons and grounds of arrest and his legal rights in the language understandable to him and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the provisions of the B.N.S.S were followed during the arrest.

Signature of the Arresting Officer

Name and Rank _____

P.S. _____

Dated _____

Received a Copy

Signature / Thumb Impression of Arrestee	Signature / Thumb Impression of Relative / Friend / Nominated Person

Name & Signature of Witnesses

S.I. No.	Name, Mobile No. and Complete Address of Witness	Signature
Witness 1		
Witness 2		

"

---

12. After comparing the memo of arrest of this case quoted hereinabove Annexure CA-V (in vernacular), with the new memo of arrest forming part of the circular dated 25.07.2025 of the Director General of Police, U.P., also quoted hereinabove, we find that both the memo of arrest are the same but the requirements of giving the details of the grounds of arrest, as required under clause 13(1) to (vi) of the memo, have not been complied by the Sub-Inspector of Police of respondent no. 3 in Annexure C.A.-V. Therefore, we are constrained to observe that despite clearly indicating the requirements of the ground of arrest, by the Director General of Police of the State, his own Subordinate Officer of Police is not complying the same and therefore the purpose of new arrest memo having been made and circulated to all the police officers of the State has been frustrated.

13. A bare perusal of the memo of arrest shows that the grounds of arrest mentioned in paragraph 13 have been sub-divided in six sub-clauses. In the present case, requirement of not a single clause has been fulfilled by the investigating officer of the police. He has only stated that the accused

has been acquainted of the offence committed by him and the sections wherein he has been implicated, after following the procedure of arrest and information of his arrest has been given to his father, Vinay Rastogi, on telephone. He has also been informed that he can meet his counsel and he has been acquainted of his rights to obtain bail.

14. We find that the requirements of clause 13 and its sub-clauses in the memo of arrest have not been complied. None of the sub-clause of Section 13 provides that an accused should only be informed about the offence committed by him and section of his implication, but the clause aforesaid requires that accused is required to be informed about all the material from which his involvement in the crime is clear and bring material on record on the basis of which the arrest of the person charged with the said offence is required. No details of the material collected by the investigating officer, till the time of arrest of petitioner no. 1, which necessitated his arrest was disclosed. Details of other material collected, documentary or electronic, relating to person arrested was also not disclosed. Even the details of sections of B.N.S.S and other laws, their supporting material and evidence collected against the arrested accused were not disclosed in the arrest memo. Therefore, it is clear that the arrest of the petitioner no. 1 was absolutely illegal and against the requirements of the arrest memo prepared by respondents themselves. The purpose of preparing the arrest memo was frustrated by the Sub-Inspector of Police of respondent no. 3.

15. It is high time that the police officials, who are not complying the requirements of the arrest memo and violating the constitutional mandate provided under Article 22(1) of the constitution of India and further violating Section 50 and 50A Cr.P.C / 47, 48 and B.N.S.S should be sternly dealt with. The violation of the constitutional mandate, provision of Cr.P.C/ B.N.S.S and the direction of the Director General of Police of the State of U.P dated 25.07.2025 clearly amounts to dereliction of duty on the part of the police personnel investigating this case. The empty

compliance of law and justification of the same before the court, as in this case by the respondents, deserves to be discouraged.

16. It is hereby directed that the violation of the aforesaid legal provisions by any police officer, while affecting arrest an accused, by not disclosing the grounds of arrest as per clause 13 of the memo of arrest, would amount to the **misconduct of dereliction of duty by police official concerned** and **he shall be liable for being proceeded departmentally, after being placed under suspension**, so that he may not perpetrate this illegality any more

17. Let this order by communicated to the Director General of Police, U.P., within period of one week by the Registrar (Compliance) of this court for necessary compliance.

18. The impugned remand order and order dated 27.12.2025 passed by Civil Judge (Senior Division), F.T.C. / Gautam Buddanagar in Case Crime No. 750 of 2025 under Section 317(2) and 317(4), P.S.- Bisrakh, District- G.B. Nagar, are hereby quashed.

19. The petitioner no. 1 is directed to be set free forthwith.

20. It shall be open for the respondents to proceed against the petitioner no. 1 strictly in accordance with law.

21. The habeas corpus writ petition is *allowed*.

22. This order shall be complied by the concerned Magistrate, if a copy of this order certified by the counsel for the petitioner no. 1, downloaded from the official website of this Court is produced before him, till certified copy of this order is issued.

January 22, 2026
Rohit

(Jai Krishna Upadhyay, J.) **(Siddharth, J.)**